



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
पत्रांक:- 3507/12-1, दिनांक, कोटद्वार, 19/04/2018.



सेवा में,

जंपिन एडवेचर्स प्राइवेट लि०
मोहन चटटी।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में जंपिन एडवेचर्स प्राइवेट लि० के लीज नवीनीकरण स्वीकृत होने तक संचालन कि अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 16.04.2018

महोदय,

वर्तमान में लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (प्रस्ताव सं० FP/UK/OTHERS/9959/2015) ऑनलाईन प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। चूंकि आपके लीज अवधि पूर्ण हो चुकी है, इस सन्दर्भ में लीज नवीनीकरण होने तक आपके द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त क्षेत्र में न ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जायेगा और न ही किसी भी प्रकार से वृक्षों/वन्य जीवों को हानी पहुँचायी जायेगी, अगर ऐसा किसी भी प्रकार के प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। लीज नवीनीकरण होने तक आपके संस्थान को साहसिक खेलों के संचालन कि अनुमति उक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।